

12.09 hrs

Motion for election of Twenty Members of Lok Sabha and Ten Members of Rajya Sabha to the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

डॉ. फगन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डॉ. फगन सिंह कुलस्ते (मंडला) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

